Research Paper | Sociology | E-ISSN No : 2454-9916 | Volume : 11 | Issue : 5 | May 2025



उत्तराखंड आदिम जातियों का शरण स्थल

डॉ अभिलाषा बाजपेई

असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र, दयानंद आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद

ABSTRACT

भारत के संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए जाने का प्रावधान है। इन्हीं प्रावधानों के अधीन विशिष्ट समुदायों को अनुसूचित किया गया है इसके अनुच्छेद 341 एवं 342 में क्रमशः अनुसूचित जाति एवं जनजाति विनिर्दिष्ट किए जाने का प्रावधान है। जनजाति वे सांस्कृतिक समुदाय है जिनकी अपनी विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था होती है। जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक पहचान उन्हें मुख्य धारा में विशिष्ट बनाती है। उत्तराखंड में अनेकों जनजाति हजारों वर्षों से रहती आ रही है। समाजशास्त्री मानते रहे हैं कि यह जनजातीय समुदाय ही यहां की मूल या आदि निवासी हैं। किंतु विकास की दौड़ में यह मुख्य धारा से पीछे रह गई है।

KEYWORDS: उद्विकासीय, प्राकृतिक, निश्चित भू भाग, पिछड़े हिंदू, आदिम जाति, उत्तराखंड, झूम कृषि, पशुपालन, हठ विवाह,

प्रस्तावना

वर्तमान मानव समाज लंबी उद्दविकासीय प्रक्रिया का परिणाम है। गगनचुंबी इमारत के आलीशान फ्लैटों में रहने वाले मनुष्य का सामाजिक प्राणी के रूप में उद्भव एवं विकास कबीलो एवं झुंडों से हुआ है। प्रारंभ से मनुष्य ने जंगलों के बीहड़ क्षेत्र, गुफाओं एवं अन्य प्राकृतिक स्थान में निवास किया।शनै शनै नवीन आविष्कारों, उच्च कौशल, संगठनात्मक शक्ति एवं बुद्धि के विकास के कारण मानव ने अपने जीवन में गुणात्मक सुधार किया। बड़े संगठन एवं कार्य विशेषीकरण ने उनकी शक्ति में और भी वृद्धि की। विकास की यह प्रक्रिया समय के साथ–साथ आगे बढ़ती गई तथा कई समाजों ने आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास किया। जबकि कुछ समाज इस विकास की दौड़ में अन्य से पीछे गए तथा वह एक निश्चित भूभाग पर सिमट कर रह गए। समाज में इन समूहों ने अपनी मौलिकता एवं विशिष्टता को बनाए रखा। इन्हीं समूहों को समाजशास्त्र में जनजाति कहकर संबोधित किया गया। **समाजशास्त्र विश्व कोश** द्वारा जनजाति को इस प्रकार परिभाषित किया गया है" एक जनजाति परिवार अथवा परिवार समूह का एक ऐसा संकलन है जिसका एक सामान्य नाम, विशिष्ट भाषा, समाज व्यवस्था, संस्कृति और उत्पत्ति संबंधी एक पुरा कथा होती है तथा जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है।" **डॉ रिवर्स** ने सामान्य निवास स्थान को महत्व न देते हुए जनजाति को एक ऐसे सरल प्रकार के सामाजिक समूह के रूप में बतलाया है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हो तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हो। **मजूमदार** ने जनजातियों के विशिष्ट निवास स्थान को महत्व दिया है। **डॉ मुखर्जी** के मतानुसार "एक जनजाति वह क्षेत्रीय मानव समूह है जो भूभाग, भाषा, सामाजिक नियम और आर्थिक कार्य आदि विषयों में एक समानता के सूत्र में बंधा होता है।" अनेक विद्वान जैसे **रिजले, रॉबर्ट, मार्टिन, ठक्कर** आदि ने इन्हें **आदिवासी** कहकर पुकारा है। भारतीय समाजशास्त्र के जनक **जी एस घुरिये** ने **पिछड़े हिंदू** कहकर संबोधित किया। संविधान के **अनुच्छेद** 342 में राष्ट्रपति द्वारा सूचीबद्ध की गई जनजातियों को **अनुसूचित जनजाति** की श्रेणी में रखा जाता है। जनजाति विभिन्न भौगोलिक एवं प्रजातियां विशेषताओं से संपन्न होती है। भारत को भौगोलिक आधारों पर अनेक खंडों में विभाजित किया जा सकता है तथा यहां अनेक प्रजातियों के मिश्रण पाए जाते हैं। इस आधार पर विभिन्न विद्वानों ने जनजातियों का वर्गीकरण किया है **डॉ एस सी दुबे** के अनुसारः

उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र इसमें उन्होंने उत्तराखंड में कुमाऊं की भोटिया जनजाति से लेकर असम की समस्त जनजातियों को सम्मिलित किया है।

पश्चिमी तथा उत्तरी क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र में पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं गुजरात की जनजातियों को सम्मिलित किया गया है।

मध्यवर्ती क्षेत्र बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश की समस्त जनजातियों को इस क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

दक्षिणी क्षेत्र इसमें दक्षिण भारत की जनजातियां आती हैं।

उद्देश्यः इस शोध प्रपत्र का उद्देश्य उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियों के सामाजिक – सांस्कृतिक संगठन का विवरण प्रस्तुत करना है।

तथ्य संकलनः इस शोध प्रपत्र में द्वितीय स्रोतों के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया गया है।

अध्ययन क्षेत्रः इस शोध प्रपत्र का अध्ययन क्षेत्र उत्तराखंड है। 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्पन्न उत्तराखंड राज्य भौगोलिक तथा प्राकृतिक संपदा में अत्यंत संपन्न है। ऊंची ऊंची पहाड़ों तथा घने वनों से अच्छा देख यह प्रदेश देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है प्राकृतिक संपन्नता ने इस प्रदेश में जनजातियों

को फलने फूलने के पर्याप्त अवसर दिए। एक आंकड़े के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में 2.89 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का है। सन 1967 में सरकार ने पांच जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जिनका विवरण निम्नवत है।

थारू जनजातिः भारत के उत्तरी क्षेत्र में थारू जनजाति टनकपुर के मैदानी क्षेत्र से लेकर नैनीताल की तराई क्षेत्र तक फैली हुई है। उधम सिंह नगर के किच्छा, खटीमा, सितारगंज, नानकमत्ता, बनबसा तराई क्षेत्र में थारूआर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। थारू शब्द के विषय में अनेक अर्थ प्रचलित है। थारू का अभिप्राय है "ठहरे हुए"। लोगों का मानना है कि राजस्थान के थार क्षेत्र से आकर यह जनजाति यहां बस गई इसलिए इन्हें थारू कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि थारू स्वयं को राणा वंश का वंशज मानते हैं। इनका मानना है कि मुगल काल में मुगल शासको के अत्याचार एवं दमन नीति के कारण राजपूताने से 12 राणा भाग कर इस क्षेत्र में आए और धीरे–धीरे पहाड़ी स्त्रियों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर विस्तृत क्षेत्र में फैल गए किंतु इन किदवंतियों पर विश्वास करना मुश्किल है। समानता थारू जनजाति स्थाई कृषक है। ये लोग चावल, मक्का, गेहूं, चना,दाल, आलू, प्याज, सब्जियों आदि की खेती करते हैं। इसकी अतिरिक्त मछली पकड़ना और शिकार करना भी इनका व्यवसाय है। वनों की लकड़ी से बांस की टोकरी बनाना मूंज एवं कांस की बान बांटना भी इनके प्रचलित व्यवसाय है।

थारू समाज परंपरावादी रूढ़िवादी व अंधविश्वासों से घिरा हुआ प्रतीत होता है। उनकी संस्कृति पूर्णतया जनजाति तो नहीं कहीं जा सकती है क्योंकि यह प्राचीन नहीं है फिर भी आदिम समाज कि कुछ विशेषताएं इनमें अवश्य पाई जाती है। थारू में विवाह केवल माघ के महीने में ही किया जाता है। तत्पश्चात गौना चैत्र या वैशाख में होता है। **"खासी विवाह"** विवाह की एक प्रचलित विधि है। वधू पक्ष को **निन्हारिया** एवं वर पक्ष को **बरतिया** कहा जाता है। वधु पक्ष अपनी इच्छा अनुसार वर का चयन करने में पूर्ण स्वतंत्रता है। वधु के पिता वर के घर सवा रुपया तथा नारियल लेकर जाता है तथा संबंध तय होता है। दूसरे प्रकार का विवाह "खर्चा विवाह" है। इस प्रकार के विवाह में वधु मूल्य दिया जाता है। वधू मूल्य तीन परिस्थितियों में दिया जाता है पहले जब लड़की के पिता गरीब हो। दूसरा जब कोई लड़की अपने वर्तमान पति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करना चाहती हो तो दूसरा पति पहले पति को खर्चा देता है। तीसरा जब किसी पुरुष की पत्नी किसी कारण किसी अन्य पुरुष से यौन संबंध स्थापित कर लेती है। विवाह का एक और प्रकार "चुटकटा" भी प्रचलित है। जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाए तो उसकी यौन इच्छाओं की पूर्ति हेतु ससुराल वाले किसी अन्य पुरुष से उसका विवाह कर देते हैं। थारू समाज में ऐसे विवाहों को सामाजिक मान्यता मिली हुई है। "घूस विवाह" भी विवाह का एक प्रचलित स्वरूप है। इसमें कोई भी स्त्री किसी पुरुष के घर में बलपूर्वक घुसकर बैठ जाती है। पुरुष अपनी इज्जत बचाने के लिए स्त्री को विवाह के लिए खर्चा दे देता है। इस प्रकार थारू समाज में प्रेम विवाह, साली विवाह और पति भ्राता विवाह भी पाया जाता है।

थारू जनजाति में धर्म तथा त्योहारों का प्रचलन पाया जाता है। सर्वप्रथम त्यौहार "चढ़ाई" रूप में प्रसिद्ध है जो वर्ष के चैत्र तथा वैसाख माह में मनाया जाता है। इस त्यौहार में महिलाएं गांव से बाहर देवी की आराधना करती है। सावन माह में "तीज" नामक त्यौहार मनाया जाता है। थारू जनजाति में होली मनाई जाती है किंतु दीपावली मनाया जाना अशुभ है। थारू जनजाति में शिक्षा का प्रसार ना होने के कारण अंधविश्वास जादू टोने का भी प्रचलन है। रोग मुक्त होने के लिए इसमें पशु बलि की प्रथा प्रचलित है। थारू समाज मातृ सत्तात्मक समाज है। इस जनजाति में स्त्रियों को विशेष स्वतंत्रता प्राप्त है। पंचायत के नियम तथा निर्णय सभी को मान्य होते हैं। थारू जनजाति के लोग स्वभाव से शांत सरल और ईमानदार होते हैं।

जौनसार बाबर 'खस' जनजातिः गढ़वाल हिमालय का जौनसार बाबर क्षेत्र उत्तराखंड के महत्वपूर्ण स्थान में से एक है। जनसंख्या की दृष्टि से जौनसारी सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। यह जनजाति देहरादून जनपद के जौनसार बाबर के चकराता एवं कालसी विकास खंडों के गांवों में निवास करती है। **खस** या **ख़ौस** इस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है खस जनजाति को महाभारत के करण पर्व में पंजाब की आदिवासी जनजाति के रूप में संदर्भित किया गया है। जबकि शारीरिक विशेषताओं के आधार पर **मजूमदार** ने इन्हें भूमध्य सागरीय प्रजाति समूह के अंतर्गत वर्गीकृत क्रिया है। प्राक एवं आद्य ऐतिहासिक काल में जौनसार बावर के नृवंशीय तत्व पर भी अभी अधिक अध्ययन नहीं हो पाया है। इंडो आर्यन भाषा परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत यह जनजाति अपनी विशिष्ट वेशभूषा, परंपराओं, सामाजिकदृ सांस्कृतिक मूल्यों, धर्म, जादू टोना तथा अर्थव्यवस्था के लिए विशेष प्रसिद्ध है। यह जनजाति विभिन्न जातियों जैसे ब्राह्मण, राजपूत, नाई, लोहार कोल्टा में बटी हुई है। जिन में क्रमशः उच्च नीच का संस्तारणात्मक संबंध पाया जाता है। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में पिछड़े होने के कारण उनके विकास के लिए सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

जौनसार बाबर में परिवार पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय एवं पितृ स्थानीय होते हैं। जौनसार बाबर में सामान्यतः विस्तृत परिवार पाए जाते हैं। क्षेत्र से बाहर जाकर किसी नौकरी या व्यवसाय में लगे हुए व्यक्ति के परिवार में सभी भाई एवं उनके बच्चे रहते हैं। परिवार का मुखिया घर का सबसे बड़ा पुरुष सदस्य होता है। यह व्यक्ति परिवार की संपत्ति की देखभाल करता है परंतु संपत्ति पर सभी भाइयों का एक समान अधिकार माना जाता है। महत्वपूर्ण कार्यों में निर्णय मुखिया के द्वारा ही लिए जाते हैं। जौनसारी जनजाति में स्त्रियां खेतों में कार्य नहीं करती हैं और हल को छूती नहीं है। परिवार में कार्य विभाजन आयु तथा लिंग के आधार पर किया जाता है। यह जनजाति अपने विवाह के प्रकार के कारण विशेष चर्चित रही है। क्योंकि जौनसारी समाज स्वयं को पांडव वंश से जोड़ते हैं। अपनी विवाह परंपरा को पांडवों द्वारा द्रौपदी से संपन्न विवाह से संबंधित करते हैं तथा इसका अनुकरण अपने जीवन में करते हैं। जौनसारी बावर में भ्राता बहुपति विवाह प्रचलित है। उनके सामाजिक विधान के अनुसार किसी भी अनुज को अपने लिए पृथक या अतिरिक्त पत्नी से विवाह की आज्ञा नहीं है। अतः सभी भाइयों में केवल अग्रज ही विवाह करता है और उसकी पत्नी या उसकी समस्त पत्नियां अनुजों की वैधानिक पत्नियां मानी जाती है। यदि अग्रज के विवाह के समय सबसे छोटा अनुज

बच्चा है या उसका जन्म अग्रज के विवाह के पश्चात हुआ है तो सबसे छोटे अनुज की युवावस्था आने पर अग्रज को छोटे अनुज की आयु की लड़की से विवाह करना होगा। यह लड़की अग्रज की पहली पत्नी की बहन भी हो सकती है। यद्यपि सबसे छोटा अनुज अग्रज की पत्नी का भी पति माना जाएगा। इस प्रकार के विवाह से परिवार का संतुलन स्थाई एवं दृढ़ रहता है। यहां की भौगोलिक स्थिति एवं कृषि योग्य भूमि की कमी, परिवार की सीमित आय, कठोर जीवन यापन में एकाकी परिवार का पालन पोषण करना कठिन हो जाता है। इस तरह से सभी पत्नियों तथा पत्तियों में प्रेम रहता है। **डी एन मजूमदार** ने बहुपति विवाह की भी बात कही है। परिवार का विभाजन नहीं होता है तथा वैमनस्य भी कम पाया जाता है। जौनसार में पहले वधू मूल्य वस्तु या पशु धन के रूप में होता था परंतु वर्तमान समय में यह मूल्य नगद धनराशि के रूप में भी होने लगा है। वधू मूल्य न प्राप्त होने की स्थिति में वर पक्ष को वधू पक्ष के माता–पिता या संरक्षक को वधू से उत्पन्न प्रथम संतान को वधू मूल्य के रूप में चुकाना पड़ता है। इस समाज में विवाह विच्छेद काम होता है और इसे **छूट** का नाम दिया गया है। छूट निम्न कारणों से हो सकता है ससुराल में पर पुरुष से समागम करना, बांझपन होना, गृहस्थ तथा कृषि कार्य में परिश्रम ना करना। पुरुष स्त्री को मायके भेज देता है तथा वापस नहीं बुलाता है। जौनसार में संपूर्ण ग्राम में भाईचारे का संबंध माना जाता है। एक ग्राम के सभी लोग आपस में रिश्तेदार होते हैं। प्रत्येक गोत्र के व्यक्ति आपस में विवाह नहीं करते हैं। जौनसारी समुदायों का सांस्कृतिक पक्ष का विशेष शक्तिशाली है। जौनसारी समुदायों का मूलतः धर्म हिंदू है। साथ ही यह प्राकृतिक शक्तियों के प्रति अत्यधिक आस्था रखते हैं। इनमें अपने देवी देवता भी हैं जिन्हें **महासू** देवता कहकर संबोधित किया जाता है। यह उनके कुल देवता भी माने जाते हैं। महासू देवताओं के साथ–साथ यहां पांडवों की भी पूजा की जाती है। जौनसार बावर दीपावली के परंपरागत त्यौहार के ठीक 1 महीने बाद **बूढ़ी दीपावली** मनाते हैं। बिस्सु पचोई बैसाखी एवं माघ का मेला इन लोगों के प्रमुख त्योहार हैं। इस जनजाति में सयाना एक प्रमुख राजनीतिक संस्था रही है। वर्षों तक यहां का शासन सायना एवं खुमारी व्यवस्था द्वारा संचालित रहा है। आधुनिकीकरण के प्रभाव के कारण इस जनजातीय समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभ्युदय हुआ है आज पहले की अपेक्षा शिक्षा का प्रसार बड़ा है। आरक्षण व्यवस्था का लाभ उठाकर जौनसारी बाबर जनजाति के सदस्य सरकारी सेवाओं में उच्च पदों को प्राप्त करने लगे हैं।

भोटिया जनजातिः भोटिया शब्द की उत्पत्ति भोट शब्द से हुई है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली जनपदों में भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं। इस जनजाति को जाड़ भी कहा जाता है। अलग–अलग स्थान पर भोटिया जनजाति को अलग–अलग नाम से पुकारा जाता है। चमोली में भोटिया मारक्षा या तोलाक्षा कहा जाता है। जबकि पिथौरागढ़ में भोटिया को जौहारी के नाम से जाना जाता है। भोटिया जनजाति की अलग–अलग स्थानों की बोलियां भी अलग–अलग है। भोटिया जनजाति तिब्बती और मंगोलियन प्रजाति का मिश्रण है। छोटा कद, गोल चेहरा, बड़ा सर, छोटी आंखें, चपटी नाक, गोरा रंग इनकी पहचान है। भोटिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है यह पहाड़ी दलों पर सीढ़ी नुमा कृषि करते हैं जिसे **झूम कृषि** कहते हैं। नदियों के किनारे सिंचाई द्वारा कृषि की जाती है। यह मुख्यत गेहूं, जौं, आलू , मोटे अनाज उगाते हैं। इनका द्वितीय व्यवसाय पशुपालन है। भोटिया लोग भेड़, बकरियां एवं गाय के समान पशु जिनको जीबु कहते हैं उनका पालन करते हैं। इस जनजाति की प्रमुख विशेषता **अर्थ स्थाई निवास** है। ग्रीष्म अवकाश में उच्च ढालों में एवं शीत अवकाश में घाटियों में निर्मित घरों में यह निवास करते हैं। ग्रीष्मकालीन आवास को मैत और शीतकालीन आवास को गुंडा कहते हैं। भोटिया लोग हिंदू रीति रिवाज को अपनाते हैं उनके विवाह संबंध माता–पिता के द्वारा निश्चित किए जाते हैं विवाह के अवसर पर नृत्य मदिरा आदि का आयोजन किया जाता है। विवाह वैदिक रीति से होता है। पत्नी विवाह के बाद पति के घर जाती है। रिश्ता वर पक्ष के द्वारा ही भेजा जाता है। विवाह के समय हाथों में रुमाल लेकर **पौंडा** नृत्य किया जाता है। इसमें विधवा और बाल विवाह नहीं होते हैं। इसमें एक पत्नी प्रथा प्रचलित है। पुरुषों के समान ही स्त्रियों को अधिकार प्राप्त हैं। यह लोग परिवार के बुजुर्ग का बहुत सम्मान करते हैं। संपत्ति का बंटवारा पिता के जीवित रहते ही हो जाता है। उनके अधिकांश का त्योहार हिंदुओं के समान ही है। यह लोग आषाढ़ के आगमन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, जिसे **पूजूई** कहा जाता है बैसाखी भी एक प्रमुख त्यौहार है। इस जनजाति के लोग ईश्वर पर पूर्ण आस्था और विश्वास रखते हैं। उनकी अपनी परंपराएं हैं, जिनका उल्लंघन करने पर समाज से बाहर कर दिया जाता है। इस जनजाति के लोग हंसमुख साहसी परिश्रमी निष्कपट सहनशील और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं।

बुक्सा जनजातिः बुक्सा जनजाति के लोग उधम सिंह नगर देहरादून एवं पौड़ी गढ़वाल जनपद में निवास करते हैं। देहरादून के बुक्सा मेहरा नाम से जाने जाते हैं। जबकि उधम सिंह नगर के बुक्सा राजपूत घरानों से संबंधित माने जाते हैं। परंपरागत रूप से कृषि एवं पशुपालन का कार्य करने वाली यह जनजाति गेहूं चावल मक्का और सरसों की कृषि करती है। कुछ लोग शिक्षित होकर सरकारी नौकरियों में नियोजित हो चुके हैं। कुछ परिवार जा, चटाई, पंख टोकरिया एवं बर्तन बनाने के व्यवसाय में लगे हुए हैं। इस जनजाति के परिवार पितृ सत्तात्मक होते हैं। यहां बहु विवाह के साथ–साथ एक विवाह की प्रथा भी प्रचलित है। संपत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्र को होता है स्त्रियों का भी संपत्ति पर समान अधिकार होता है। बुक्सा जनजाति की मूल इकाई परिवार है जिसका मुख्य नेता होता है कई परिवार से मिलकर एक मॉंझरा का निर्माण होता है। गांव का प्रधान सामूहिक पंचायत, भोजन में संपूर्ण गांव का प्रतिनिधित्व करता है बुक्सा जनजाति के लोग हिंदू देवी देवताओं के उपासक होते हैं हिंदू देवों में शिव गणेश रामकृष्ण और दुर्गा आदि की पूजा करते हैं। वहीं दूसरी ओर काली, हुल्का, अटरिया, वन देवी की पूजा करते हैं। बुक्सा जनजाति के नियम कानून सबके लिए मान्य होते हैं और उनके विरुद्ध आचरण करने पर दंड का प्रावधान भी है।

वनराजी जनजातिः भारत की 73 आदिम जनजातियों में शामिल वनराज को वनरैत भी कहा जाता है। यह जनजातीय उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में रहती है पिथौरागढ़ के अलग अलग स्थानों में यह रहते हैं। घरेलू भाषा मुंडा होती है इनमें कुमाऊनी भाषा का पुट रहता है। विवाह हेतु वर पक्ष वध पक्ष को धन देता है। विवाह के पश्चात लड़का अपने परिवार से पृथक हो जाता है। महिला को

पुनर्विवाह करने का अधिकार है। यदि किसी के घर में मृत्यु हो जाए तो उसको खाली छोड़ दिया जाता है। यह लोग जंगलों के देवताओं की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म को मानते हैं एवं बागनाथ की पूजा करते हैं इस जनजाति की जनसंख्या बहुत तेजी से कम हो रही है क्योंकि इनमें जन्म दर का स्तर बहुत कम है।

REFRENCES

1. Rivers , quoted by Majumdar D.N., Race and Cultures of India, Asia Publishing House , Bombay page no 356
2. Mukherjee Dr,People and Institutions of India , Saraswati Sadan, Mussoorie page no 43
3. Census of India 1891, Vol –1,Part–1, page no 158
4. Dubey S. C. Manav avam Sanskrati, Vani Trokashan, Delhi
5. Gupta, Jaunsari Janjatiya samaj mein– dharm avam sanskriti, Neelkamal prakashan , Delhi page no 16
6. Nawani, Uttarakhand Year Book 2005 , Winsor Publishing Company Dehradun page no 25